

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.20 नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के अन्तर्गत नगर पालिक परिषद् एवं नगर पंचायत को प्राधिकार एवं नवीनीकरण.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 18.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-18 दिनांक 10 अप्रैल 2013 में संशोधन करते हुए पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है. अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.1	जन्म का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र.	ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी.	7 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	21 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार
		नगरीय क्षेत्र स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगर पालिका/नगर परिषद्).	7 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार	21 कार्य दिवस.	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (कलेक्टर).
18.2	मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र.	ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी.	7 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	21 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		नगरीय क्षेत्र स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगरपालिका/ नगर परिषद).	7 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार	21 कार्य दिवस.	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (कलेक्टर).
18.3	जन्म के 1 वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिये अनुमति.	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार.	15 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
18.4	मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिये अनुमति.	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार.	15 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
18.5	जन्म प्रमाण-पत्र.	ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी.	15 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	30 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार
		प्रसव सुविधा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक.	15 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	30 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार
		नगरीय क्षेत्र स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/जिला चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सिविल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगरपालिका/नगर परिषद).	15 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार	30 कार्य दिवस.	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (कलेक्टर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.6	मृत्यु प्रमाण-पत्र.	ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी.	15 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	30 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार
		प्रसव सुविधा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक.	15 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	30 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार
		नगरीय क्षेत्र स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/जिला चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सिविल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगरपालिका/नगर परिषद्).	15 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार	30 कार्य दिवस.	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (क्लेक्टर).
18.7	विवाह पंजीयन	ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी.	30 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	15 कार्य दिवस.	उप जिला विवाह रजिस्ट्रार
		नगरीय क्षेत्र स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगरपालिका/नगर परिषद्).	30 कार्य दिवस.	उप जिला विवाह रजिस्ट्रार.	15 कार्य दिवस.	जिला विवाह रजिस्ट्रार (क्लेक्टर).

नोट.—भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर एवं उज्जैन जिलों में संयुक्त संचालक अशोकनगर, बुरहानपुर, अलीराजपुर, अनूपपुर, सिंगरीली जिलों में जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं शेष जिलों में जिला योजना अधिकारी जिला रजिस्ट्रार होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.